

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 04/09/18

विषय:- विभिन्न नगर निकायों में पूर्व में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए देनदारी की राशि कुल ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018-19 में पथ एवं पुलिया निर्माण मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2017-18 में विभिन्न नगर निकायों में पथ एवं पुलिया निर्माण मद अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की गई थी। तदनुसार निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ- 3 में अंकित योजनाओं के लिए आवंटित राशि के व्ययोपरांत अवशेष राशि की अधियाचना नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मोकामा एवं दानापुर तथा नगर पंचायत- मेहसी द्वारा किया गया है।

2. उक्त अधियाचना के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ- 3 में वर्णित योजनाओं के लिए स्तम्भ- 8 के अनुरूप देनदारी की कुल राशि ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) मात्र की स्वीकृति पथ एवं पुलिया निर्माण मद से निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख में)								
क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या / दिनांक	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	कोषागार से निकासी नहीं की गई राशि	अवशेष राशि [5-(6-7)]	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर निगम, पटना	वार्ड नं०- 02 के अंतर्गत आशियाना फेज- 01 के सेक्टर-F में पी०सी०सी० सड़क एवं भू-गर्म नाला निर्माण।	88 / 24.12.2014	106.94500	106.94500	53.4725	53.47250	53.47250
2		वार्ड सं०- 46 अंतर्गत शनिदेव मंदिर भूतनाथ रोड से सेंट जोसफ स्कूल एवं इसके लिंक रिजर्व बैंक कॉलोनी होते हुए 4H/1 तक भूगर्म नाला (अंश भाग एवं पी०सी०सी० पथ का निर्माण कार्य)।	350 / 28.03.2017	41.42400	20.71200	20.71200	41.42400	41.42400
3	नगर परिषद्, मोकामा	वार्ड नं०- 05 में बिलास यादव के घर से अजित सिंह के दालान तक पी०सी०सी० सड़क एवं क्लवर्ट निर्माण।	122 / 25.02.2015	71.79221	53.84416	0.00	17.94805	17.94805

4	नगर परिषद, दानापुर	नगर परिषद, दानापुर में पावर हाउस यूनियन बैंक रंजन पथ मोड़ से रोड नं०-02 एस०के०पूरम डॉन पोलो स्कूल तक (आर्य समाज मंदिर रोड) पथ निर्माण कार्य।	1849/ 30.03.2018	16.02000	0.00000	0.00	16.02000	16.02000
5	नगर पंचायत, मेहसी	राज्य योजना अन्तर्गत वार्ड नं०- 03 में आर०ई०ओ० रोड से लालजी साह के घर से अरुण राय के घर होते हनुमान मंदिर तक पथ में पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	24/ 05.08.2015	40.966	30.72450	0.00	10.24150	10.24150
कुल योग				277.14721	212.22566	74.18450	139.10605	139.10605

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) मात्र।

*इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।*

3. उक्त स्वीकृत ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद— मोकामा एवं दानापुर तथा नगर पंचायत— मेहसी होंगे जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०— 2561, दिनांक— 17.04.98 एवं पत्रांक— 354, दिनांक— 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम— 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०— 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— 1496, दिनांक— 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०— 573, दिनांक— 16.01.1975 एवं एम 04—15/2009—9736, दिनांक— 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

6. उक्त स्वीकृत ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जाएगी :-

(क) उक्त स्वीकृत ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) में से तालिका के क्रमांक— 01 एवं 02 में पटना नगर निगम, पटना से संबंधित योजनाओं सम्मुख स्तम्भ— 9 में अंकित कुल ₹94.89650 लाख (चौरानवे लाख नवासी हजार छः सौ पचास रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या— 48 मुख्य शीर्ष— 2217—शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष— 01—राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष— 191—नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष— 0115—परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड— **48-2217011910115**, विषय शीर्ष— 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ख) उक्त स्वीकृत ₹139.10605 लाख (एक करोड़ उनचालीस लाख दस हजार छः सौ पाँच रु०) में से तालिका के क्रमांक- 03 से 05 के सम्मुख स्तम्भ- 9 में अंकित कुल ₹44.20955 लाख (चौवालीस लाख बीस हजार नौ सौ पचपन रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930103, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/सड़क-09-01/2018 के पृष्ठ सं०-.....25...../टि० पर दिनांक-31.08.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....25...../टि० पर दिनांक-31.08.2018 को प्राप्त है।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मोकामा एवं दानापुर तथा नगर पंचायत- मेहसी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश/से,

04.09.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/सड़क-09-01/2018 53 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-04.09.18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्- मोकामा एवं दानापुर तथा नगर पंचायत- मेहसी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.09.18  
सरकार के विशेष सचिव।